SANSCO SERVICES - Annual Reports Library Services - www.sansco.net

MD	✓	BKC	✓
CS	✓	DPY	NA
RO	✓	DIV	✓
TRA	✓	AC	✓
AGM	✓ ✓	SHI	✓
YE	✓ ✓ ✓		

19 वीं वार्षिक रिपोर्ट 1996-97

आर सी एफ

19TH ANNUAL REPORT 1996-97

राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

RASHTRIYA CHEMICALS AND FERTILIZERS LIMITED

www.reportjunction.com

SANSCO SERVICES - Annual Reports Library Services - www.sansco.net

www.reportjunction.com

SANSCO SERVICES - Annual Reports Library Services - www.sansco.net

राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.

अनुक्रमणिका

		पृष्ठ क्रमांक
1.	निदेशक मण्डल	3
2.	सूचना	4
3.	निदेशक रिपोर्ट	10
4.	लेखा परिक्षकों का प्रतिवेदन	30
5.	सांविधिक लेखापरिक्षकों की समीक्षा/ अवलोकन पर निदेशक मण्डल के उत्तर	38
6.	31 मार्च, 1997 के अनुसार तुलन-पत्र	45
7.	31 मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा	47
8.	तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ	50
9.	लाभ और हानि लेखा की अनुसूचियाँ	64
10.	नकदी प्रवाह विवरण	98

Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited

Contents

		Page No
1.	Board of Directors	3
2.	Notice	5
3.	Directors' Report	11
4.	Auditors' Report	31
5.	Replies of the Board of Directors to Comments/Observations of the Statutory Auditors	39
6.	Balance Sheet as at 31st March, 1997	45
7.	Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 1997	47
8.	Schedules to the Balance Sheet	50
9.	Schedules to the Profit & Loss Account	64
10.	Cash Flow Statement	98

राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.
"प्रियदर्शिनी", इस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, सायन, मुंबई - 400 022.

Rashtriya Chemicalsand Fertilizers Limited
"Priyadarshini", Eastern Express Highway, Sion,
Mumbai - 400 022.

www.reportjunction.com

SANSCO SERVICES - Annual Reports Library Services - www.sansco.net

www.reportjunction.com

SANSCO SERVICES - Annual Reports Library Services - www.sansco.net

निदेशक मण्डल

1. श्री दीपक कुमार वर्मा
   अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
   (दिनांक 4-10-1996 से)
2. श्री एस. बालन
   निदेशक (वित्त)
3. श्री. एच.सी.पी. सिन्हा
   निदेशक (तकनीकी)
   (दिनांक 26-2-1997 से)
4. श्री प्रदीप सिंह
   कार्यपालक निदेशक
   उर्वरक उद्योग
   समन्वय समिति, सेवा भवन,
   आर. के. पुरम्, नई दिल्ली.
5. श्री एस.पी. मुखर्जी
   मुख्य कार्यपालक
   भारी पानी मण्डल,
   परमाणु ऊर्जा विभाग,
   विक्रम साराभाई भवन
   अणुशक्ति नगर, मुंबई - 400 094
   (दिनांक 31-1-1997 से)
6. श्री आर. के. भार्गव
   अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक
   भारी पानी मण्डल,
   परमाणु ऊर्जा विभाग,
   विक्रम साराभाई भवन,
   5वा माला, अणुशक्ति नगर, मुंबई 400 094
   (दिनांक 30-11-1996 तक)
7. श्री विनय बन्सल,
   सचिव (उद्योग) महाराष्ट्र सरकार,
   मंत्रालय, मुंबई 400 032
   (दिनांक 8-7-1997 तक)

कंपनी सचिव

श्री के. सी. प्रकाश

बैंकर

भारतीय स्टेट बैंक
माहुल रोड शाखा
चेंबूर, मुंबई 400 074

सांविधिक लेखापरीक्षक

1. मे. मनुभाई एण्ड कं.
2. मे. कांतिलाल पटेल एण्ड कं.
3. मे. के.एस. कक्कड एण्ड कं.

शेयर अन्तरण एजंट

मे. स्पेक्ट्रम कार्पोरेट सर्विसेस लिमिटेड
श्री गणेश इण्डस्ट्रियल हाउस,
पहला माला, 'बी' विंग,
वामन तुकाराम पाटील मार्ग,
चेंबूर, मुंबई - 400 071.

पंजीकृत कार्यालय

''प्रियदर्शिनी''
ईस्टर्न एक्स्प्रेस हायवे
सायन, मुंबई - 400 022.

Board of Directors

1. Shri D. K. Varma
   Chairman and Managing Director,
   (From 4-10-1996)
2. Shri S. Balan
   Director [Finance]
3. Shri H.C.P. Sinha
   Director [Technical]
   (From 26-2-1997)
4. Shri Pradeep Singh
   Executive Director,
   Fertilizer Industry
   Coordination Committee
   Sewa Bhavan,
   R.K. Puram,
   New Delhi
5. Shri S.P. Mukherjee
   Chief Executive
   Heavy Water Board
   Department of Atomic Energy
   Vikram Sarabhai Bhawan
   Anushakti Nagar
   Mumbai 400 094
   (From 31-1-1997)
6. Shri R.K. Bhargava
   Chairman and Chief Executive
   Heavy Water Board
   Department of Atomic Energy
   Vikram Sarabhai Bhavan
   5th Floor, Anushakti Nagar
   Mumbai
   (Upto 30-11-1996)
7. Shri Vinay Bansal
   Secretary (Industries)
   Government of Maharashtra
   Mantralaya
   Mumbai 400 032
   (Upto 8-7-1997)

Company Secretary

Shri K.C. Prakash

Bankers

State Bank of India
Mahul Road Branch
Chembur, Mumbai 400 074.

Statutory Auditors

1. M/s. Manubhai & Co.
2. M/s. Kantilal Patel & Co.
3. M/s. K.S. Kakkad & Co.

Share Transfer Agents

M/s. Spectrum Corporate
Services Limited,
Shree Ganesh Industrial House
1st Floor-"B Wing"
Waman Tukaram Patil Marg
Chembur, Mumbai 400 071.

Registered Office

"Priyadarshini"
Eastern Express Highway,
Sion, Mumbai 400 022.

www.reportjunction.com

SANSCO SERVICES - Annual Reports Library Services - www.sansco.net

राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : ''प्रियदर्शिनी'', ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, सायन, मुंबई 400 022.

सूचना

उन्नीसवीं वार्षिक आम सभा

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के सदस्यों की उन्नीसवी वार्षिक आम सभा, शुक्रवार दिनांक 5 सितम्बर, 1997 को दोपहर 3.00 बजे शिव स्वामी ऑडिटोरियम, दि फाइन आर्टस एण्ड कल्चरल सेंटर, प्लॉट नं. 16 व 21, आर.सी. मार्ग (चेंबूर रेलवे स्टेशन के पास), चेंबूर, मुंबई 400 071 में निम्नलिखित कारोबार के संपादन हेतु आयोजित की जाएगी:-

साधारण कारोबार :

1. 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा परीक्षित लाभ व हानि लेखा तथा निदेशकों की रिपोर्ट व उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ उसी तारीख का तुलन पत्र प्राप्त करना, विचार करना तथा स्वीकार करना।
2. लाभांश, यदि हो तो, घोषित करना।
3. श्री प्रदीप सिंह, जो क्रमश: सेवा निवृत्त होंगे और पुन: नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, उनके स्थान पर निदेशक नियुक्त करना।

विशेष कारोबार :

4. श्री एस.पी. मुखर्जी को कंपनी के निदेशक के रुप में नियुक्त करना तथा यदि उचित समझा जाय तो संशोधन के साथ या बगैर, निम्न संकल्प को साधारण संकल्प के रुप में पारित करना।

   ''संकल्प किया जाता है कि, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 255, 257 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई हो, इसके द्वारा श्री एस.पी. मुखर्जी की कंपनी के निदेशक के रुप में नियुक्ति की जा रही है, जो क्रमश: सेवानिवृत्त होंगे।''

5. यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बगैर, निम्न संकल्प को साधारण संकल्प के रुप में पारित करना।

   ''संकल्प किया जाता है कि, कंपनी अधिनियम की धारा 292, (1) (घ) तथा अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, और भारत के राष्ट्रपति और/या केंद्र सरकार से, यदि कोई अनुमोदन अपेक्षित हो तो उसके अध्यधीन, कंपनी का निदेशक मण्डल इसके द्वारा कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी और मुक्त प्रारक्षित निधि (अर्थात् ऐसा प्रारक्षित निधि जो किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए अलग न रखा हो) से अधिक रकम कंपनी के प्रयोजन के लिए समय समय पर उधार लेने के लिए प्राधिकृत होगा।(सामान्य कामकाज के दौरान कंपनी के बंकर्स से तात्कालिक उधारी के अलावा), यद्यपि पहले ही उधार ली हुई और बाकी मिलाकर ऐसी उधारी की कुल राशि रु. 1200 करोड से अधिक नहीं होनी चाहिए।''

   ''यह भी संकल्प किया जाता है कि, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 293 (1) (क) और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, और भारत के राष्ट्रपति और/या केंद्र सरकार द्वारा, यदि कोई अनुमोदन अपेक्षित हो तो उसके अध्यधीन, कंपनी के निदेशक मण्डल को, मण्डल, कंपनी और ऐसे वित्तीय संस्थानों के दरम्यान होने वाले ऋण करारों की शर्तो के अनुसार, ऐसे वित्तीय संस्थानों से, ब्याज, वचनपूर्ति प्रभार लागत, और अन्य प्रभार और ऐसे संस्थानों को देय अन्य प्रभारों के साथ लिए गए ऋण की जमानत के लिए, मण्डल और वित्तीय संस्थानों के दरम्यान संमति के अनुसार, कंपनी की विद्यमान और भविष्यकालीन दोनों चल और अचल संपत्ति को गिरवी रखने/प्रभारित करने के लिए इसके द्वारा सम्मति दी जाती है।''

6. निम्न संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बगैर, उसे साधारण संकल्प के रुप में, पारित करना।

   ''संकल्प किया जाता है कि, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 372 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार और समय समय पर लागू अन्य किसी कानून के अनुसार और जहाँ भी आवश्यक हो, भारत के राष्ट्रपति और/या केंद्र सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन, कंपनी के निदेशक मण्डल को, इसके द्वारा, अधिनियम की धारा 372 के अधीन, जिन्हें वे उचित समझे ऐसे अन्य निगमित निकायों में अपने पूर्ण स्वेच्छाधिकार से जो वे कंपनी के हित में लाभकारक समझे औसतन कुल रु. 350 करोड तक विहित सीमाओं से अधिक निवेश करने के लिए प्राधिकार दिया जाता है।''

   ''यह भी संकल्प किया जाता है कि, कंपनी के निदेशक मंडल को, इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए जो भी उचित समझे ऐसे सभी काम, कारवाइयाँ और बातें करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।''

www.reportjunction.com

SANSCO SERVICES - Annual Reports Library Services - www.sansco.net

RASHTRIYA CHEMICALS AND FERTILIZERS LIMITED
Registered Office, "Priyadarshini", Eastern Express Highway Sion, Mumbai 400 022.

NOTICE

NINETEENTH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the NINETEENTH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE MEMBERS OF RASHTRIYA CHEMICALS AND FERTILIZERS LIMITED will be held at Sivaswamy Auditorium, The Fine Arts Cultural Centre, Plot No. 16 & 21, R.C. Marg, [Near Chembur Railway Station], Chembur, Mumbai 400 071 on Friday, the 5th day of September, 1997 at 3 PM to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the Audited Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 1997 and Balance Sheet as at that date together with the Reports of Directors and Auditors thereon.

2. To declare dividend, if any.

3. To appoint a Director in place of Shri Pradeep Singh, who retires by rotation and is eligible for reappointment.

Special Business:

4. To appoint Shri S.P. Mukherjee, as Director, of the Company and to consider and if thought fit to pass with or without modification, the following resolution as an Ordinary Resolution:

   "**RESOLVED THAT** pursuant to Sections 255, 257 and other applicable provisions of the Companies Act 1956, if any, Shri S.P. Mukherjee, be and is hereby appointed as Director of the Company who shall be liable to retire by rotation".

5. To consider and if thought fit, to pass with or without modifications, the following resolution as Ordinary Resolution:

   "**RESOLVED THAT** pursuant to Section 292 (1) (d) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, and subject to approval if any required, of the President of India and/or Central Government, the Board of Directors of the Company be and is hereby authorised to borrow from time to time moneys [apart from the temporary borrowings from the Company's Bankers in the Ordinary Course of Business] for the purpose of the Company in excess of the aggregate of its paid up capital and free reserves [that is to say, the reserves that are not set aside for any specific purpose] provided that the total amounts of such borrowings together with amounts already borrowed and outstanding, shall not exceed Rs. 1200 Crore."

   "**RESOLVED FURTHER** That the consent of the Company be and is hereby accorded under Section 293[1][a] and other applicable provisions, if any of the Companies Act, 1956 subject to approval if any required, of President of India and/ or Central Government, to the Board of Directors of the Company for mortgaging/charging moveable and immovable properties of the Company both present and future and the whole of the undertaking of the Company or such of them as may be agreed to between the Board and the Financial Institutions to secure the loans borrowed from such institutions together with interest, commitment charges cost and other charges and expenses payable by the Company to such Financial Institutions, as per the terms and conditions of the loan Agreements to be entered into between the Company and such Financial Institutions".

6. To consider and, if thought fit, to pass with or without modifications the following resolution as Ordinary Resolution:

   "**RESOLVED THAT** pursuant to Section 372 and any other applicable provisions of the Companies Act, 1956 and any other law for the time being in force and further subject to the approval of the President of India and/or Central Government where necessary, the Board of Directors of the Company be and is hereby authorised to make investments in excess of the limits prescribed under Section 372 of the Act, in other Bodies Corporate as they may, in their absolute discretion deem beneficial and in the interest of the Company, upto an aggregate of Rs. 350 Crore."

   "**RESOLVED FURTHER THAT** the Board of Directors be and is hereby authorised to do all such acts, deeds and things as may be deemed expedient and necessary to give effect to this resolution".

www.reportjunction.com

SANSCO SERVICES - Annual Reports Library Services - www.sansco.net

7. निम्न संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाय तो, संशोधन के साथ या बगैर उसे विशेष संकल्प के रुप में पारित करना :

''संकल्प किया जाता है कि, कंपनी अधिनियम की धारा 370 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, और यदि आवश्यक हो तो, भारत के राष्ट्रपति और/या केंद्र सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन, कंपनी के निदेशक मण्डल को, इसके द्वारा, किसी विद्यमान या भविष्यकालीन कंपनी से और/या जो एक ही प्रबंधन के अंतर्गत न हो (खासकर ''ओमान इंडिया फर्टिलाइजर्स कं. एमएलसी'' के नाम पर या अन्य सुधारित किसी नाम पर प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी से), कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 (1-ख) के आधीन, जिसे निदेशक मंडल उचित समझे ऐसी शर्तो के आधार पर, रु. 500 करोड तक ऋण लेने का प्राधिकार है।''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार और भारत के राष्ट्रपति और/या केंद्र सरकार के अनुमोदन से, कंपनी के निदेशक मंडल को इसके द्वारा, निगमित निकाय सहित किसी अन्य व्यक्ति को रु. 500 करोड तक दिए गए ऋण की गारंटी या किसी प्रतिभूति देने के लिए प्राधिकार दिया जाता है, यद्यपि इस प्रकार कंपनी द्वारा दी गयी कुल गारंटी या प्रतिभूति किसी भी समय रु. 550 करोड से अधिक न हो।''

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

(के.सी. प्रकाश)
कंपनी सचिव

दिनांक : 4 अगस्त, 1997
स्थान : मुंबई

टिप्पणी :

1. सभा में उपस्थित होने तथा मत देने का अधिकार रखनेवाला कंपनी सदस्य अपने बदले में, उपस्थित होने तथा मतदान के समय मत देने के लिए प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) नियुक्त करने के लिए अधिकृत है और उक्त प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) कंपनी का सदस्य होना जरुरी नहीं है। प्रतिनिधि (प्राक्सी) की नियुक्ति करने का दस्तावेज, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, सभा करने के निश्चित समय के पहले 48 घण्टों में जमा करना चाहिए।
2. मद संख्या 4, 5, 6 तथा 7 के संदर्भ में, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 173(2) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण साथ में संलग्न है।
3. सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तक सोमवार दिनांक 18 अगस्त, 1997 से शुक्रवार दिनांक 29 अगस्त 1997 तक (दोनों दिवसों सहित) बंद रहेगा।
4. सदस्यों से अनुरोध है कि, वे अपने पते में कोई परिवर्तन हो तो तुरंत कंपनी को या उसके अंतरण एजंट मेसर्स स्पेक्ट्रम कार्पोरेट सर्विसेस लि., श्री गणेश इण्डस्ट्रियल हाउस, पहला माला, ''बी'' विंग, अमर सिनेमा के पास, वामन तुकाराम पाटील मार्ग, चेंबूर,
मुंबई - 400 071 को सूचित करें।
5. टिप्पणी के संदर्भ में अनुषंगिक सभी कागजात कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में वार्षिक आम बैठक के दिन तक कामकाज के दिन कार्यालयीन घण्टो में शनिवार को छोडकर सुबह 11.00 से दोपहर 1.00 बजे तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
6. केंद्र सरकार को अंतरण के लिए नियत शेष लाभांश निम्नानुसार है।

वित्तीय वर्ष	अंतरण के लिए नियत
31.3.1995	09.11.1998
31.3.1996	13.11.1999

जिन सदस्यों ने उपरोल्लिखित वित्तीय वर्ष के लाभांश वॉरंट का नकदीकरण नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे कृपया कंपनी से संपर्क करें और लाभांश वॉरंट की अनुप्रतियाँ (डुप्लिकेट डिव्हिडंड वॉरंट) प्राप्त करें।

7. जिन सदस्यों को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है वे कृपया वार्षिक आम सभा के पहले कम से कम सात दिन कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव से संपर्क करें।

www.reportjunction.com

SANSCO SERVICES - Annual Reports Library Services - www.sansco.net

7. To consider and, if thought fit, to pass with or without modifications, the following resolution as Special Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions contained in Section 370 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, and further subject to approval, if any, required of the President of India and/or Central Government, the Board of Directors of the Company be and is hereby authorised to make loans from time to time to any existing or future Company, under and/or not under the same management [and more particularly to the proposed Joint Venture Company in the name of "Oman India Fertilizers Co. LLC" or any other modified name] within the meaning of Section 370[1B] of the Companies Act, 1956 upto a sum of Rs. 500 Crore on such terms and conditions, as the Board of Directors deem fit and proper".

"**RESOLVED FURTHER THAT** pursuant to the provisions of Section 370 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 1956 and subject to the approval of President of India and/or Government as may be necessary, consent of the Company be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Company to give any guarantee or provide any security in connection with the loans made by any other persons, including Body Corporate to any other persons or Body Corporate upto Rs. 500 Crore provided that the aggregate of the guarantees or Securities provided by the Company shall not exceed Rs. 550 Crore at any time".

By order of the Board of Directors

K.C. PRAKASH
COMPANY SECRETARY

Date: 4th August, 1997
Place: MUMBAI

Notes:

1. A Member of the Company entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint a proxy to attend and, on a poll, to vote instead of himself and that the said proxy need not be a Member of the Company. The instrument appointing the proxy shall be deposited at the Registered Office of the Company not later than forty-eight hours before the time fixed for holding the meeting.

2. Explanatory Statement of material facts pursuant to Section 173[2] of the Companies Act, 1956 for Item Nos. 4, 5, 6 and 7 is annexed hereto.

3. Register of Members and Share Transfer books will be closed from 18th August, 1997 to 29th August, 1997 [both days inclusive].

4. Members are requested to notify immediately any changes in their address to the Company or its Transfer Agents, M/s Spectrum Corporate Services Limited, Shree Ganesh Industrial House, 1st Floor "B Wing", Near Amar Cinema, Waman Tukaram Patil Marg, Chembur, Mumbai 400 071.

5. All documents referred to in the accompanying Notice are open for inspection at the Registered Office of the Company during office hours on all working days except Saturdays between 11.00 AM and 1.00 AM upto the date of the Annual General Meeting.

6. The unpaid Dividend that are due for transfer to the Central Government are as follows :

Financial year ended	Due for transfer on
31.3.1995	09.11.1998
31.3.1996	13.11.1999

Members who have not encashed their dividend warrants for the aforesaid financial years are requested to approach the Company for obtaining duplicate dividend warrants.

7. Any clarifications needed by the members of the Company may be addressed to the Company Secretary at the Registered Office of the Company atleast seven days prior to the date of Annual General Meeting.

www.reportjunction.com

SANSCO SERVICES - Annual Reports Library Services - www.sansco.net

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 173(2) के अनुसरण में, व्याख्यात्मक विवरण

निम्न व्याख्यात्मक विवरण 19वीं वार्षिक आम सभा की सूचना के मद संख्या 4, 5, 6 और 7 में उल्लिखित महत्वपूर्ण तथ्य दिखाता है।

मद संख्या 4

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 260 तथा कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 81(5) के अनुसरण में, निदेशक मण्डल की 184वीं बैठक में, अतिरिक्त निदेशक के रुप में श्री एस. पी. मुखर्जी की नियुक्ति की गई है। 19वीं वार्षिक आम सभा की तिथि तक वे पदभार सम्भाल लेंगे।

भारत के राष्ट्रपति, जो कंपनी के शेयरधारकों में प्रमुख शेयरधारक है, उनसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 257 के अनुसार प्राप्त सूचना में श्री एस. पी. मुखर्जी, कंपनी के निदेशक के रुप में नियुक्ति की सिफारीश थी। श्री एस. पी. मुखर्जी परमाणु ऊर्जा विभाग में भारी पानी मण्डल के मुख्य कार्यपालक है और नेशनल फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड और कृभको के निदेशक मण्डल पर निदेशक है। कंपनी के निदेशक मण्डल में उनकी उपस्थिति से कंपनी को उनके परमाणु ऊर्जा विभाग के विस्तृत ज्ञान, अनुभव तथा अन्य उर्वरक कंपनियों के निदेशक होने का बहुत लाभ होगा।
श्री एस. पी. मुखर्जी के अलावा कंपनी के कोई भी अन्य निदेशक उपर्युक्त संकल्प में हितसंबंधी नहीं है।

मद संख्या 5

ओमान में संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के अलावा, कुछ और बडी विस्तार और आधुनिकीकरण परियोजनाएँ हाथ में लेने का कंपनी का संकल्प है। अगले 3 वर्षो में रु. 1000 करोड का निवेश इसलिए अपेक्षित है। जहाँ तक हो सके, परियोजनाओं के लिए निवेश आंतरिक उपचय से किया जाएगा, कंपनी, आयसीआयसीआय, आयडीबीआय आदि वित्तीय संस्थानों से कतिपय उधारी ले सकती है। वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के परिणामस्वरूप, कंपनी को, कंपनी की चल और अचल संपत्तियों के लिए, संस्थानों के नाम पर प्रतिभूति निर्माण करनी पडेगी।

कंपनी के कोई भी निदेशक उपर्युक्त संकल्प में हितसंबंधी नहीं है।

मद संख्या 6

ओमान ऑइल कं. और कृभको के साथ भागीदारी में, ओमान में, ''दि ओमान इंडिया फर्टिलाइजर्स कं. एलएलसी'' के नाम से संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने की प्रक्रिया कंपनी में जारी है। औद्योगिक ठोस रसायनों के क्षेत्र में, अन्य विशिष्ट संयुक्त उद्यम कंपनियों में, भारत में निवेश करने की कंपनी की संकल्पना है। अन्य भागीदारों के साथ कंपनी द्वारा संयुक्त उद्यम करार पर पहले ही हस्ताक्षर किए गए है और ओमान में परियोजना के कार्यान्वयन को अंतिम रुप देने की द्वष्टि से, तकनीकी चर्चाएं चल रही हैं। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, कार्यालयीन घंटों में, कंपनी के सदस्यों को निरीक्षण करने के लिए करार और अन्य कागजात दिखाए जाएंगे।

कोई भी निदेशक उपर्युक्त संकल्प में हितसंबंधी नहीं है।

मद संख्या 7

ओमान ऑइल कंपनी और कृभको के साथ हस्ताक्षरित संयुक्त उद्यम करार में यह बात नियत है कि भागीदार उचित नकदी प्रवाह की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। इसलिए कंपनी, कृभको के साथ, ओमान ऑइल फर्टिलाइजर कं. का पूरा उत्पादन उठाएगी, इसलिए कंपनी से ऋण करारों के अनुसार, समय समय पर, ऋण मंजूर करने होंगे।

ओमान ऑइल फर्टिलाइजर कं. एलएलसी 3:1 ऋण इक्विटी अनुपात के अनुसार स्थापित की जा रही है। पूंजी ऋण भाग की व्यवस्था आंतरराष्ट्रीय पद्धतियों के अनुसार, विदेशी वित्तीय एजंसियों के साथ की जाएगी। तथापि, वित्तदाताओं को, इस बारे में भागीदारों से विशिष्ट गारंटी अपेक्षित है।

ऋण करारों के मसौदे, सदस्यों को निरीक्षण के लिए, पंजीकृत कार्यालय में, कार्यालयीन घंटों में दिखाए जा सकते हैं।

संकल्प में कोई भी निदेशक हितसंबंधी नहीं हैं।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

के.सी. प्रकाश
कंपनी सचिव

दिनांक : 4 अगस्त, 1997
स्थान : मुंबई

www.reportjunction.com